

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/6584-यू/2018/3070

दिनांक : 26/11/18

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) के पत्र क्रमांक एफ. 35(28)चिस्वा/ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में श्री भरत सिसोदिया, कनिष्ठ सहायक को स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 26.11.2018 से 04.12.2018 तक 9 दिवस का विदेश भ्रमण थाइलैंड जाने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर एतद द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/6584-यू/2018/3070

दिनांक : 26/11/18

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
2. श्री भरत सिसोदिया, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर